बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

!!कार्यालय आदेश!!

संख्या–2/स्था0–01–30/2011..2030........../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25.6.12

राज्य के सभी जिले भूकम्प जोन के अन्तर्गत आते है तथा भूकम्प की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। अतएव नए भूकम्परोधी भवनों को बनाने तथा पुराने भवनों के रेटरोफिटिंग के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा निर्माण कार्य में संलग्न सभी साझेदारों का क्षमता वर्धन किया जाए तथा संवेदकों तथा आम जन को ऐसे ही भवनों का निर्माण करने हेतु जागरूक किया जाए। इसी कम में अभियंताओं/वास्तुविदों एवं राज्य मिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने तथा संवेदकों के संवेदीकरण हेतु विपार्ड से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव के अनुसार निश्चित संख्या में अभियंता तथा वास्तुविदों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है। **भूकम्परोधी निर्माण की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने की परियोजना एवं वित्तीय प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।**

इसी कम में माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.05.2012 को आयोजित अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राज्यमिस्त्रियों को भूकम्प रोधी भवन निर्माण की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण कार्यकम के संचालन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यकमों के सफल समन्वय हेतु निम्नानुसार जिला समन्वय समिति का गठन किया जाता है:–

1.	जिला पदाधिकारी –	अध्यक्ष
2.	जिलों में पदस्थापित सभी कार्य विभागों के उच्चतम पदाधिकारी –	सदस्य
3.	असैनिक शल्य चिकित्सक–	सदस्य
4.	अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन–	सदस्य सचिव

जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष इस समिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अन्य सदस्यों को भी नामित कर सकेगे। यह समिति जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यो के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगी।

जिला समन्वय समिति की बैठके समय–समय पर एवं कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य होगी।

राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण का समन्वय बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं संबंधित जिलें के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा किया जायगा।

ह0/–
(रमेश चन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

D:\youjana\karayal adash 11-5.docx

ज्ञापांक–.......2030......../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25.6.12

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने की कृपा की जाय।

22/6/12

संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

D:\youjana\karayal adash 11-5.docx